आदेशानसार दिनांक 24/8/20 को पेश की

20.8.2020 पत्रावली पेश हुई। वकील अभियोजन में उपस्थित होकर एक आवेदन पेश कर निवेदन किया कि हस्तगत पत्रावली को नोट प्रेस में खारिज करवाया जावे। इस बाबत पत्रावली आदेशिका पर वकील अभियोजन ने "Not Press" का अंकन किया। अतः वकील अभियोजन के निवेदन पर पत्रावली इसी स्तर पर खारिज की जाती है पत्रावली में कुल कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है पत्रावली कैसल युगत होकर वर तकमील दाखिल दफ्तर हो

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद
मुख्यालय सीकर (राज.)

Not Press

T.I. आया नहीं चलान चाहिये, नोट प्रेस में खारिज की प्रार्थना है

20.8.20